खरीद से सम्बन्धित जानकारी-

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा वर्ष 2022-23 में रू० 2,50,000 से अधिक की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित 01 प्रकरण है, जिससे सम्बन्धित प्रपत्र (अधिप्राप्ति GeM के माध्यम से की गयी है) संलग्न हैं।

Bid Number: GEM/2022/B/2868928
Dated: 17-12-2022

Bid Document

Bid Details	
Bid End Date/Time	27-12-2022 15:00:00
Bid Opening Date/Time	27-12-2022 15:30:00
Bid Offer Validity (From End Date)	30 (Days)
Ministry/State Name	Uttarakhand
Department Name	Finance Department Uttarakhand
Organisation Name	N/a
Office Name	Treasury, Pension & Entitlement
Item Category	Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Others; Sweeper; Not Required
Contract Period	1 Year(s)
Past Experience of Similar Services required	Yes
MSE Exemption for Years of Experience and Turnover	No
Startup Exemption for Years of Experience and Turnover	No
Document required from seller	Experience Criteria,Certificate (Requested in ATC),Additional Doc 1 (Requested in ATC) *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer
Bid to RA enabled	No
Type of Bid	Two Packet Bid
Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation	2 Days
Estimated Bid Value	802438.68
Evaluation Method	Total value wise evaluation

EMD Detail

Advisory Bank	State Bank of India
EMD Amount	15750

ePBG Detail

Advisory Bank	State Bank of India

ePBG Percentage(%)	3.00
Duration of ePBG required (Months).	14

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable.

Beneficiary:
Assistant Treasury Officer
Treasury, Pension & Entitlement, Finance Department Uttarakhand, N/A,
(Vishal Somani)

Splitting

Bid splitting not applied.

MSE Purchase Preference

MSE Purchase Preference	No

1. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.
2. Past Experience of Similar Services: The Bidder must have successfully executed / completed at least one single order of 80 % of the Estimated Bid Value or 2 orders each of 50 % of the Estimated Bid Value or 3 orders each of 40 % of the Estimated Bid Value for similar service(s) in last three years to any Central / State Govt Organization / PSU / Public Listed Company. Copies of contracts / work orders and documentary evidence of successful execution / completion in support of Past Experience of Similar Services along with names, address and contact details of clients shall be uploaded with the bid for verification by the Buyer.

Additional Qualification/Data Required

Scope of work & Job Description:1671196080.pdf

In case, the buyer wants to retain some of the existing resources then buyer is needed to upload the list of resources along with the quantity of each type or resource to be continued by the successful bidder/service provider under the new contract as per the T&C of new contract concluded on the basis of this bid along with approval of Competent Authority.:1671196087.pdf

Manpower Outsourcing Services - Fixed Remuneration - Others; Sweeper; Not Required (5)

Technical Specifications

Specification	Values
Core	
Type of Function	Others

Specification	Values
List of Profiles	Sweeper
Educational Qualification	Not Required
Specialization	Not Required
Post Graduation	Not Required
Specialization for PG	Not Applicable
Experience	0 to 3 Years
State	NA
District	NA
Zipcode	NA
Addon(s)	
Additional Details	
Designation	0
Title for Optional Allowance 3	0
Title for Optional Allowance 2	0
Title for Optional Allowance 1	0

Additional Specification Documents

Consignees/Reporting Officer

S.No.	Consignee/Reporting Officer	Address	Number of Resources to be hired	Additional Requirement

S.No.	Consignee/Reporting Officer	Address	Number of Resources to be hired	Additional Requirement
1	Vishal Somani	248001,23 laxmi road dalanwala	5	• Basic monthly pay (INR) exclusive of GST : 11196 • Bonus (INR Monthly) : 0 • EDLI (INR Monthly) : 0 • EPF Admin Charges (INR Monthly) : 1252 • Provident Fund (INR Monthly) : 0 • Optional Allowances 1 (INR Monthly) : 0 • Optional Allowances 2 (INR Monthly) : 0 • Optional Allowances 3 (INR Monthly) : 0 • ESI (INR Monthly) : 313 • Tenure/ Duration of Employment (In Months) : 12

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions

1. **Generic**

   OPTION CLAUSE: The Purchaser reserves the right to increase or decrease the quantity to be ordered up to 25 percent of bid quantity at the time of placement of contract. The purchaser also reserves the right to increase the ordered quantity by up to 25% of the contracted quantity during the currency of the contract at the contracted rates. Bidders are bound to accept the orders accordingly.

2. **Buyer Added Bid Specific ATC**

   Buyer uploaded ATC document Click here to view the file .

Disclaimer

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to

exemption provided to such sellers under GeM GTC.

3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

This Bid is governed by the General Terms and Conditions, conditons stipulated in Bid and Service Level Agreement specific to this Service as provided in the Marketplace. However in case if any condition specified in General Terms and Conditions is contradicted by the conditions stipulated in Service Level Agreement, then it will over ride the conditions in the General Terms and Conditions.

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws.

---Thank You---

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
23, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

दि० 09 जनवरी, 2023

पत्रांक 6182 सफाई / भवन / भाग–4 / नि०को०पे०ह० / 2023

मै० रोहित गोदियाल,
34 / 2 पूरण बस्ती,
इन्दर रोड, डालनवाला
देहरादून।

निदेशालय के कार्यालयों भवनों, डाटा सेन्टर, साईबर कोषागार एवं सम्पूर्ण भवन परिसर की सॉफ– सफाई तथा गार्डन के रख–रखाव आदि कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक 29.12.2022 तक जैम पोर्टल पर आमंत्रित की गई निविदाओं में आपकी दरों को गठित समिति द्वारा दिनांक 10.01.2023 से 09.01.2024 तक के लिये स्वीकार कर लिया गया है। अतः दिनांक 10.01.2023 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करना सुनिश्चित करें।

अनुबन्ध की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार लागू रहेंगीं :–

कार्यालय भवन एवं परिसर आदि की सफाई के लिये नियम एवं शर्तें

01– निविदा कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

02– सफाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में किया जायेगा। प्रतिदिन प्रातः 8:15 से 9:30 तक कार्यालय की सफाई कार्य पूर्ण करना होगा।

03– दैनिक सफाई कार्यों में निम्नलिखित कार्य किये जाने हैः–

(क)– निदेशालय भवन (1,011.8 स्क्वायर मी0), डाटा सेंटर (3,415 स्क्वायर मी0) एवं साईबर ट्रेजरी (569.20 मी0) के समस्त कमरों, बरामदों व पूरे कार्यालय परिसर में झाडू लगाना एवं पार्किंग एरिया (262.50 स्क्वायर मी0) की सफाई।

(ख)– समस्त कमरों, कम्प्यूटर कक्षों एवं बरामदों के फर्श पर प्रतिदिन फिनाईल से पौछा लगाना।

(ग)– प्रतिदिन मेज, कुर्सियों को साफ करना, दीवारों, खिड़की, रोशनदान आदि में लगे मकड़ी के जालों को हटाया जाना तथा साफ–सफाई करना।

(घ)– बाथरूम–टायलेट आदि की फिनाईल, तेजाब से प्रतिदिन धुलाई/सफाई कराना, टायलेट की नालियों/सीटोबन्द/चोक हो जाने की दशा में उनकी सफाई करना।

04– भवन परिसर में एकत्रित कूड़े का निस्तारण फर्म/ठेकेदार को स्वयं करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई धनराशि देय नहीं होगी।

05– झाड़ू, टोकरी, पंजा, ट्राली आदि की आपूर्ति फर्म/ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

06– फिनाईल, वाशिंग पाउडर, हारपिक, तेजाब, पौछा, कोलीन एवं अन्य सफाई सामग्री इत्यादि की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिये लिखित रूप में मांग करनी होगी।

07– कार्यालयों एवं भवन परिसर की सफाई इत्यादि के लिये फर्म/ठेकेदार द्वारा न्यूनतम 04 सफाई कर्मी व न्यूनतम एक माली (01) उपलब्ध कराये जायेंगे। जो प्रातः 8:30 से सांय 5:00 बजे तक कार्यालय में ही उपस्थित रहेंगे। सर्वप्रथम उनके द्वारा सभी कक्षों की सफाई की जायेगी। उसके बाद अन्य सफाई कार्य किये जायेगें।

08– श्रम विभाग द्वारा यदि दैनिक मजदूरी की दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसके आधार पर ही उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मियों व माली को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान फर्म द्वारा कर्मियों को किया जायेगा। सफाई कर्मी व माली प्रतिमाह भुगतान करने के साक्ष्य कार्यालय में जमा किये जाने होंगे। जिसके पश्चात ही फर्म को उस माह की मजदूरी तथा सर्विस चार्ज का भुगतान किया जायेगा।

09– फर्म द्वारा तैनात किये गये प्रत्येक श्रमिक का सिक्यूरिटी क्लीयरेंस आवश्यक होगा तथा तैनात किये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानून का अनुपालन किये जाने का दायित्व भी सम्बन्धित फर्म का होगा।

10– फर्म के द्वारा रखे गये सभी कार्मिकों द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अशोभनीय कृत्य, नशीली दवाईयों, धूम्रपान गुटका एवं एल्कोहल आदि का सेवन निषिद्ध होगा।

11– फर्म/ठेकेदार के किसी कार्मिक द्वारा किये गये नुकसान के परिणामस्वरूप निदेशालय के स्वविवेकानुसार प्रतिभूति की धनराशि में से सम्पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कटौती कर ली जायेगी।

12– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त किये जाने अथवा स्वीकार किये जाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

13– फर्म/ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर ही माह पूर्ण होने पर फर्म/ठेकेदार द्वारा रखे गये सफाई कर्मियों के खाते में डाली गई धनराशि का साक्ष्य उपलब्ध कराने के उपरांत ही बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

18- फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले श्रमिकों का भुगतान समय से करना सुनिश्चित करेगा। तैनात किये गये श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानून का अनुपालन किये जाने का दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा। इस सम्बन्ध में विभाग की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

19- फर्म/ठेकेदार/श्रमिकों के बीच यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है तो उसका दायित्व विभाग/उत्तराखण्ड शासन का नहीं होगा। सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार इस हेतु उत्तरदायी होगें। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा किसी प्रकार का भुगतान एवं दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

20- सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने पर एवं सफाई का स्तर अच्छा न होने पर उस दिन के समतुल्य के बराबर भुगतान की राशि फर्म/ठेकेदार से वसूली की जायेगी तथा प्रतिस्थानी को नियुक्ति फर्म द्वारा प्रदान की जायेगी।

21- पानी की आपूर्ति न होने की दशा में पानी की व्यवस्था फर्म/ठेकेदार द्वारा की जायेगी। इस के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जायेगा।

22- कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर निदेशक को यह अधिकार होगा कि वह दस दिन पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें। इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

24- साफ–सफाई की समय सारणी की चैक लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।

25- ठेकेदार को स्वयं अथवा ठेकेदार द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम तीन दिन प्रातः 10 बजे सफाई कार्य के निरीक्षण के लिये उपस्थित होना होगा। निरीक्षण विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में होगा।

26- सफल निविदादाता/फर्म को ₹ 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नियम व शर्तों की सहमति का अनुबन्ध पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। देय स्टाम्प ड्यूटी फर्म द्वारा वहन की जायेगी।

29- यदि आपको अनुबन्ध की उपरोक्त शर्तें मान्य हों तो 07 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराने के साथ ही रू 55,000.00/– (पचपन हजार रूपये मात्र) सुरक्षा धनराशि के रूप में बैंक सावधि जमा/बैंक गारन्टी जो निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बंधक होगी, प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिसकी वैधता कार्यादेश के निर्गत होने की तिथि से 14 माह होगी।

30- अगर न्यायालय में कोई वाद दायर होता है, तो वह देहरादून स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

5/14

गार्डन हेतु नियम व शर्तें

01 फर्म/ठेकेदार द्वारा एक कुशल माली जिसको गार्डनिंग आदि का पूरा ज्ञान हो तथा जो इस कार्य में दक्ष हो, प्रतिदिन के हिसाब से उपलब्ध करायेगा।

02 गार्डन परिसर में लगे पेड़–पौधों की सिंचाई/निराई/गुड़ाई तथा उन्हें सिंचित करने का कार्य आवश्यकतानुसार समय–समय पर माली द्वारा किया जायेगा। यदि पेड़–पौधों की निराई/गुड़ाई तथा उन्हे सिंचित करने का कार्य समयानुसार माली द्वारा नहीं किया जाता है और पेड़–पौधे सूख जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में पेड़–पौधों की कीमत के अनुसार उनकी भरपाई की वसूली फर्म/ठेकेदार से की जायेगी।

03. गार्डनिंग कार्य हेतु यथा झाड़ू, टोकरी, ग्रास कटर, खुरपी आदि यत्रों की आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं फर्म/ठेकेदार को करनी होगी।

04. गार्डन के रख–रखाव का स्तर अच्छा न होने की दशा में उस दिन के समतुल्य भुगतान की वसूली फर्म/ठेकेदार से दण्ड स्वरूप की जायेगी।

05. समय–समय पर गार्डन हेतु जो भी फूलों के बीज/पौधें बुआई करने अथवा लगाने की आवश्यकता होगी उसकी आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। खाद आदि की आपूर्ति भी विभाग द्वारा की जायेगी।

06. निदेशालय भवन परिसर एवं गार्डन में रखे गये गमलों की देख–रेख स्वयं माली द्वारा की जायेगी तथा उनकी रंगाई–पुताई भी उन्हीं के द्वारा की जायेगी।

07. फर्म/ठेकेदार द्वारा बागवानी कार्य में लगाये गये माली को किसी विषैली जन्तुओं/रैप्टाईल आदि द्वारा दंश/काटने/चोटिल होने की घटना पर निदेशालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। समस्त उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।

08. गार्डन से लगी नाली की सफाई माली द्वारा की जायेगी।

09. गार्डन से एकत्र किये गये कूड़े इत्यादि का निस्तारण फर्म/ठेकेदार को स्वयं करना होगा। जिसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

शेष अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी।

(पंकज तिवारी)
निदेशक

4/4